(b) DDA has reported that the project has been taken up after necessary clearances from all concerned agencies/ departments including National Airport Authority and Delhi Urban Arts Commission.

(c) and (d) The construciton of any multistoreyed building/flats in Dwarka is approved and taekn up after necessary clearance from the Airport Authority of India.

Promotion to the post of Executive Engineer

3095. SHRI RAMJI LAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 'Degree Holder Assistant Engineers' have been superseded by 'Diploma Holder Assistant Engineer' while giving promotion to the post of Executive Engineer as per New Recruitment Rules, 1996;

(b) if so, the details thereof;

(c) what steps Government propose to take to stop such supersession;

(d) whether there is any proposal to amend the New Recruitment Rules, 1996 to avoid such supersession; and

(e) what is the scope of promotion of Assistant Engineer having Post-Graduate Degree in CPWD alongwith their quota?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) No, Sir. Degree and Diploma Holders Assistant Engineers have been promoted in accordance with the separate quota laid down for them in the Recruitment Rules of 1996.

(b) and (c) Question do not arise in view of reply at (a) above.

(d) There is no proposal for amendment of 1996 Recruitment Rules for the present.

(e) There is no special provision for promotion of Assistance Engineers possessing post-graduate qualificaitons in the 1996 Recruitment Rules.

Low pressure of water in DDA flats, Vikaspuri

3096. SHRIMATl MALTI SHARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pressure of water in Vikaspuri paticularly in JG-II Block, DDA flats is so low that it does not reach first and second floor;

(b) whether it is also a fact that residents are facing great hardships owing to scarcity of drinking water;

(c) if so, what action Government propose to take in this regard in details; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) No, Sir. Delhi Jal Board has reproted that the water supply hours to this areas are for two hours each both in the morning and evening. Only in few houses of top floor (3rd storey) situatated at the end of the system, supply is available for' relatively lesser duration. To augment the water supply further a 40 mgd. capacity water treatment plant at Nangloi has been set-up which will be commissioned on . availability of raw water from Haryana. .

डी0 आई0 जैड0 एरिया की शिकायतों पर केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग द्वारा ध्यान न दिया जाना

3097. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच हैं कि डी0 आई0 जैड0 एरिया, सेक्टर-4, नई दिल्ली के केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग

(सेवा केन्द्र) में आबंटियों की शिकातयों पर ध्यान नहीं दिया जाता हैं ,

(ख) क्या यहां पर अधिकांशतः सड़कें टूटी हुई हैं और बिजली के मीटर बक्सों पर दरवाजे नहीं हैं,

(ग) यहां पर कितने मकान ऐसे हैं जिनमें कई वर्षो से फ्लश टंकियां खराब पड़ी हैं और उन्हें शिकायत करने पर भी ठीक नहीं किया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंधत में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं, रोजमर्रा की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती हैं । एजेंन्सी से संबंधित शिकायतों पर उचित प्रक्रिया के पश्चात् कार्रवाई की जाती हैं ।

(ख) सामान्यतः सड़कें अच्छी स्थिति में हैं और बिजली के मीटर बक्स दरवाजे सहित दिये गये हैं । इन से संबंधित कोई शिकायतें सेवा केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) और (घ) इस समय 1392 मकानों में फ्लश टंकियां खराब पड़ी हैं । उनकी मरम्मत करने/बदलने की कार्यवाई की जा रही हैं ।

बिहार के आरा शहरा में सड़को की दशा

3098. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी :** क्या शहरी कार्य रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि बिहार में भोजपुर जिले के मुख्यालय-आरा शहर में सड़कों की दशा काफी दयनीय हैं,

(ख) क्या सरकार आरा शहर के सड़कों की मरम्मत और विकास के लिए कोई कार्रवाई करेगी, और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सरकार ने 81.56 लाख रु0 की अनुमोदित लागत पर बिहार के भोजपुर जिले के आरा कस्बे को छठी योजना से आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 स्कीम के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर दिया हैं जिसमें यातायात और परिवहन घटक शामिल हैं । तदनुसार, छठी और सातवीं योजनाओं में कस्बों को 39.00 लाख रु0 की केन्द्रीय सहायता जारी की गई । छठी योजना के सभी कस्बों के लिए 31.3.1991 से केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई थी । सड़कों का रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता हैं ।

बहुउद्देश्य कानपुर बराज़

3099. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने बहुउद्देश्य कानपुर बराज़ निर्माण के लिए केन्द्र अंश के रूप में मात्र 6 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये हैं जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए 47.57 करोड़ रुपये जारी किये हैं,

(ख) क्या यह सच हैं कि इस बराज़ की लागत का आधा भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध मे शेष 17.12 करोड़ रुपये की राशि को कब तक जारी किया जाएगा और केन्द्र द्वारा नियमित अंशदान के लिए क्या व्यवस्था की गई हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) केन्द्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 6 करोड़ रु0 प्रदान किए हैं । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त योजना के लिए राज्य सरकार ने 54.12 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं ।

(ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने गंगा बैराज योजना अनुमोदित की हैं जिसमें 263.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चल आपूर्ति घटक भी शामिल हैं इस लागत का 50% भाग केन्द्र सरकार द्वारा ऋण सहायता के रूप में मुहैया कराया जाएगा ।

(ग) भविष्य में धनराशि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

Selection of assistant director in DOP

3100. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a post of Assistant Director (O.L.) on deputation was advertised in the Employment News, dated the 2nd May, 1998 by the Department of Publication, Civil Lines, Delhi, a subordinate office of the Ministry;